न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2025 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 46 / 2025	2025 / 139	04.03.2025	14.05.2025

1– रामश्री पुत्री किशोरीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी झुलझुली दिल्ली हाल आबाद बृसंगपुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) हाल आबाद बौलखैडा तहसील कांमा जिला भरतपुर हाल पत्नी मनोहरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बिलोद तहसील कांमा जिला भरतपुर (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास दिनाक 30.12.2023 नामान्तकरण संख्या 1456 वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास खारिज किया गया है, को अपास्त किये जाने बाबत।

02. श्री राजेश कुमार शर्मा –वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 1456 निर्णय दिनांक 30.12.2023 वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि नामान्तकरण में वर्णित आराजी किशोरी लाल पुत्र पलटू जाति ब्राहम्ण निवासी बृसंगपुर की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास में स्थित है, जिनका देहान्त होने के कारण उनकी विरासत में चार पुत्रीयॉ अपीलान्ट रामश्री, औमवती, चन्द्रादेवी, पॉची को विरासत में मिली जिनके हक में नामान्तकरण संख्या 812 दर्ज व स्वीकार होकर जमाबंदी में अंकन हो गया है। औमवती, चन्द्रादेवी, विमला व पॉची ने अपने हिस्से का हक त्याग अपीलान्ट रामश्री को हक त्याग दिनाक 7.7.2022 को तहरीर कर दिया गया। हक त्याग पत्र दिनाक 08.07.2022 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 5, 8, 9 में पृष्ट संख्या 64 क्रंम संख्या 202203359101409 उपपंजियक किशनगढबास के यहा पंजिबद्व कर दिया, जिसके आधार पर पटवारी हल्का ने नामान्तकरण संख्या 1456 दर्ज कर वास्ते निर्णय हेतु पेश किया गया। जिस पर तहत अदालत द्वारा मूल दस्तावेजात पेश नही करने/अपलोड दस्तावेजात से मीलान न होने के कारण नामान्तकरण संख्या 1456 खारिज किया गया है। जबकि तहत अदालत के समक्ष मिन अपीलान्ट द्वारा समस्त दस्तावेजात पेश कर दिये थे, प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर ही पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण दर्ज किया गया था। किन्तु तहत अदालत द्वारा बिना विधिक कारण के नामान्तकरण खारिज किया गया है। आलोच्य नामान्तकरण केवल मात्र रिलीजडीड के आधार पर था, और न तो किसी को कोई आपत्ति थी, न ही कोई कानूनी बाधा थी। मगर तहत अदालत द्वारा विधि विरूद्व तरीके से नामान्तरकण खारिज किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 18.11.2024 को उस

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)

समय हुई जब पटवारी हल्का के पास जमाबंदी की नकल लेने गई। जिस पर उसी दिन नामान्तकरण की नकल प्राप्त कर कानूनी सलाह मशवरा कर बिना देरी किये यह अपील पेश की गयी है। अपील करने में हुऐ विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का पृथक से संलग्न कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकर कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 30.12.2023 निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलाधीन आदेश वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास नामान्तकरण संख्या 1456 दिनांक 30.12.2023 के विरूद्व दिनाक 24.12.2024 को पेश की गयी है, जो करीब 1 वर्ष पश्चात पेश की गयी है। अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम 1963 में अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 30.12.2023 की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 18.11.2024 को होना दर्शाया गया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है, अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। नामान्तकरण संख्या 1456 वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान 159/0.0300, 272/0.5400, 369/0.1600, 475/0.1400, 480/0.1400 किता 5 कुल रकबा 1.0100 है0 खातेदार कमशः औमवती, चन्दा देवी, विमला, पॉची, रामश्री के नाम दर्ज रिकार्ड थी, खातेदारान कमशः औमवती, चन्दा देवी, विमला, पॉची के द्वारा दिनाक 07.07.2022 को जर्ये हक–त्याग के अपना–अपना हिस्सा खातेदार रामश्री के नाम दर्ज करने हेतु तस्दीक कराया गया। जिसके आधार पर ही पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण दर्ज किया गा किन्तु पटवारी हल्का के द्वारा नामान्तकरण दर्ज करते समय सहवन से अन्य दस्तावेज संलग्न कर दिये किन्तु पटवारी हल्का ने स्थति स्पष्ट कर मूल दस्तावेज का अवलोकन कर निर्णय किये जाने का उल्लेख अंकित किया गया है, किन्तु तहत अदालत द्वारा नामान्तकरण खारिज किया गया है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित नही है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर इस निर्देश के साथ तहसीलदार किशनगढबास को प्रतिप्रेषित किया जाता है, की अपीलान्ट को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर अपेक्षित दस्तावेजात अपीलान्ट से तलब कर प्रकरण में पुनः विधिसम्मत जॉच कर पुनः निर्णय पारित करे। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 30.12.2023 नामान्तकरण संख्या 1456 वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा निरस्त किया जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलेक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)